S-39
04-01-2022

अत्यंत महत्वपूर्ण / विधानसभा
विशेष पत्र वाहक / ई–मेल द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉं तल, सी – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(39) / ~~अता.~~ / ता प्र.सं.39 / द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग–2022 / दिविस / श.वि. / 1384-1386 दिनांकः 01-01-2022

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः–दिल्ली सातवीं विधानसभा के द्वि.सत्र का चतुर्थ भाग तारांकित / ~~अतारांकित~~ प्र. स. 39 मान्नीय विधायक श्री प्रकाश जारवाल दिनांक 04.01.2022 को

सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉं, मान्नीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मान्नीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

Scanned by TapScanner

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
<u>9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली</u>

विधायक का नाम : श्री प्रकाश जारवाल

दिनांक : 04.01.2022

विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या : 39

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>क्या एसडीएमसी, साउथ जोन के चिराग दिल्ली में मकान नंबर 470 व 546 स्वीकृत भवन योजना के अनुसार बनाए गए हैं;</td><td rowspan="2">दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन निर्माण हेतु कोई स्वीकृति प्रदान नही की गई है।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>यदि हाँ, तो उनका विवरण दें;</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;</td><td>1. संपत्ति संख्या 470 चिराग दिल्ली के विरूद्ध विधि अनुरूप यथा डीएमसी एक्ट, 1957 की धारा 343/344 व 345–ए के अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु मिसिल संख्या 251/UC/B-I/SZ/2020 dated 09/10/2020 से कार्यवाही प्रविष्ठ अथवा दर्ज है। वर्तमान में किसी किस्म की निर्माण संबंधि गतिविधि नही चल रही है।
2. जबकि संपत्ति संख्या 546, चिराग दिल्ली बेसमेंट से चतुर्थ तल तक बनी हुई यह एक पुरानी निर्मित संपत्ति (old & occupied) है।</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>क्या इन भवनों में कोई व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही है;</td><td>1. संपत्ति संख्या 470, चिराग दिल्ली रिहायषी रूप से उपयोग में लाई जा रही है।
2. जबकि संपत्ति संख्या 546, चिराग दिल्ली की बेसमेंट व भूतल पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही है।</td></tr>
<tr><td>ड.</td><td>यदि हाँ, तो क्या इसकी अनुमति है;</td><td>संपत्ति संख्या 546, चिराग दिल्ली के बेसमेंट व भूतल पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाए जाने हेतु कोई अनुमति/स्वीकृति प्रदान नही की गई है।</td></tr>
<tr><td>च</td><td>वर्ष 2012 के बाद से इन संपत्तियों के लिए दिए गए संपत्ति कर का विवरण दें;</td><td>एसडीएमसी के सम्पत्ति कर विभाग, दक्षिणी क्षेत्र मे उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सम्पत्ति सं0 470 व 546, चिराग दिल्ली के सन्दर्भ में सम्पत्ति कर भुगतान की स्थिति इस प्रकार हैः–
<u>सम्पत्ति सं0 470, चिराग दिल्लीः–</u>
1. वर्ष 2004–05 से वर्ष 2020–21 तक आम–माफी योजना के तहत राशि रू0 43848/– सम्पत्ति कर जमा हुआ है।
<u>सम्पत्ति सं0 546, चिराग दिल्लीः–</u>
2. वर्ष 2012–13 से 2018–19 एवं 20–21 का टैक्स जमा किया हुआ है तथा जिस वर्ष का टैक्स जमा नही किया है उसका नोटिस जारी किया हुआ है।
<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>रसीद संख्या</th><th>दिनांक</th><th>जमाकिया गया कर करोड़ रू0</th></tr>
<tr><td>2012–13</td><td>बी पी –001660</td><td>13.07.2012</td><td>4571</td></tr>
<tr><td>2014–15</td><td>बी ओ–034744</td><td>17.06.2014</td><td>8055</td></tr>
<tr><td>2015–16</td><td>बी ओ–048327</td><td>01.05.2015</td><td>2442</td></tr>
<tr><td>2017–18</td><td>डी ए –23532</td><td>30.06.2018</td><td>2442</td></tr>
<tr><td>2013–14</td><td rowspan="3">डी एन–5630</td><td rowspan="3">30.03.2019</td><td rowspan="3">9760</td></tr>
<tr><td>2016–17</td></tr>
<tr><td>2018–19</td></tr>
<tr><td>2020–21</td><td>डी डब्ल्यु–39575</td><td>31.08.2020</td><td>11224</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

छ	क्या इन भवनों ने किसी सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण किया है;	चिराग दिल्ली गांव वर्ष 1987 में (जैसा है जहा है) के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित हुआ था। अभिन्यास योजना (Layout Plan) उपलब्ध ना होने के कारण यह बता पाना मुश्किल हैं कि इन भवनों ने अतिक्रमण किया है या नही, क्योंकि म0न0 470 व 546 चिराग दिल्ली अन्य मकानों के साथ एक लाइन में बने हुए है।
ज	इन संपत्तियों के सीमांकन का विवरण;	
झ	क्या मकान नंबर 699 की खतरनाक भवन होने के संबंध में कोई जाँच हुई थी; और	संपत्ति संख्या 699 चिराग दिल्ली के विरूद्ध विधि अनुरूप यथा डीएमसी एक्ट, 1957 की धारा 343/344 व 345–ए के अनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु मिसल संख्या 100/UC/B-I/SZ/2021 dated 08/06/2021 व 110/UC/B-I/SZ/2021 dated 24/06/2021 से कार्यवाही दर्ज की गई व तदानुसार पूरे ढांचे अथवा निमृत संपत्ति को ढहा अथवा तोड़ दिया गया। वर्तमान में वहां पर कोई ढांचा खड़ा/निर्मित नही है।
ञ	इस भवन के मालिक, बिल्डर व आर्किटेक्ट के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण और घटिया सामग्री आदि के प्रयोग के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें?	

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02